संख्या-10/2021/587/77-3-2021-10(बजट)/2018

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 04 मार्च, 2021

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्माणाधीन बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल निर्माण कार्य हेतु विभागीय बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-15789/यूपीडा/गंगा/2019 दिनांक 15.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य'' मद में से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के आ0ओ0डब्ल्यू0 में पड़ने वाले एच0टी0 टॉवर/लाइनों की शिफ्टिंग हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 को भुगतान किये जाने हेतु रू0 200.00 करोड (रू0 दो सौ करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि विभागीय बचतों से संलग्न पुनर्विनियोग/प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृत करने की सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं :-

(1) धनराशि आहरित करके यूपीडा के बैंक खाते में रखी जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण बैंक खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) बचत की धनराशि एवं व्यैय की जाने वाले धनराशि का औचित्यअ प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध् कराया जायेगा।

(5) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्तय धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही हैए उसी मद में ही आवश्यगकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(7) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा हैए उसका सदुपयोग इसी वित्तीगय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(8) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दि0 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दि0 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020, 18.05.2020 एवं 29.09.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 06-बुन्देलखण्ड

एक्सप्रेसवे परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 09-गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य" मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/ बी-1-149/दस-2020-231/2020, दि0 24.03.2020 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-प्रपत्र बी0एम0-9

भवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-10/2021/587(1)/77-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।
6. वित्त ई-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/नियोजन-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0–9 (भाग–1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(सन्दर्भ बजट मैनुअल के प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या– 07

विभाग का नाम– औद्योगिक विकास विभाग

(धनराशि लाख रू0 में)

निधियो से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15–डिजिट कोड मे)	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभ्रग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03–राज्य राजमार्ग 337–सड़क निर्माण काय 09– गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना 24– वृहत निर्माण कार्य (15 अंको का लेखाशीर्ष–5054033370924)	148481	148481	20000	20000	128481
योग :–	**148481**	**148481**	**20000**	**20000**	**128481**

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15–डिजिट कोड मे)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03–राज्य राजमार्ग–337–सड़क निर्माण कार्य–06–बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना–24 वृहद निर्माण कार्य' (15 अंको का लेखाशीर्ष–5054033370624)	75000	95000	20000	20000	95000
योग :–	**75000**	**95000**	**20000**	**20000**	**95000**

01. स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03–राज्य राजमार्ग, 337–सड़क निर्माण कार्य, 09–गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना 24– वृहत निर्माण कार्य मे बचत सम्भावित है।
02. स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ –9 में अंकित अधिक व्यय का कारण– "5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03–राज्य राजमार्ग–337–सड़क निर्माण कार्य–06– बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना –24 वृहद निर्माण कार्य' मे अधिक व्यय की सम्भावना है।
03. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट बजट मैनुअल के प्रस्तर –150,151,154 व 156 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लघंन नही होता है।

संख्या –आर0ई0सं0 451 /ई–6/2021 दिनांक 04/03/2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0
इलाहाबाद।

(आनन्द कुमार सिंह)
अनु सचिव
औद्योगिक विकास विभाग

(विवेक त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या – (1) /77–3–2021 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
3. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6
4. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–01 तीन प्रतियों में।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार सिंह)
अनुसचिव

15/02/2021
15/2/2021